Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ सांभर लेक, जयपुर ग्रामीण में थानाधिकारी 50,000/– रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 13 सितम्बर, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. जयपुर नगर–प्रथम, जयपुर इकाई द्वारा आज कार्रवाई करते हुए **राममिलन मीणा, पुलिस निरीक्षक एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना सांभर लेक, जयपुर ग्रामीण** को परिवादी से **50,000/– रुपये** रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. जयपुर नगर–प्रथम, जयपुर इकाई को एक लिखित शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी के पिताजी के नाम की फर्म को पीडब्ल्यूडी विभाग से प्राप्त सड़क निर्माण कार्य को थाना क्षेत्र में निर्बाध रूप से चालू रखने की एवज में राममिलन मीणा, पुलिस निरीक्षक द्वारा हर माह 20,000/ रुपये रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है। रिश्वत राशि नहीं देने पर परिवादी की निर्माण साइट पर लगे वाहनों एवं कर्मचारियों को थाने ले जाकर परेशान किया जा रहा था।

जिस पर एसीबी के **उप महानिरीक्षक पुलिस–द्वितीय श्री ओमप्रकाश मीणा** के सुपरवीजन में **श्री भूपेन्द्र, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक** ए.सी.बी. जयपुर नगर–प्रथम, जयपुर के नेतृत्व में **श्री मनोज कुमार शर्मा, पुलिस निरीक्षक** द्वारा रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान आरोपी राममिलन मीणा द्वारा प्रत्येक माह 10,000/ रुपये के हिसाब से कुल 50,000/ रुपये रिश्वत राशि की मांग करना पाया गया।

इस पर आज ट्रैप टीम के साथ ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी राममिलन मीणा पुत्र श्री राधेश्याम मीणा को परिवादी से 50,000/– रुपये रिश्वत राशि थानाधिकारी कक्ष में लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

एसीबी की **महानिरीक्षक पुलिस श्रीमती एस. परिमला** के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

–किसी व्यक्ति के विरुद्ध ए.सी.बी. में प्रकरण (अभियोग, प्राथमिक जांच, परिवाद आदि) दर्ज होने पर संबंधित व्यक्ति ए.सी.बी. से सीधे संपर्क कर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत स्पष्टीकरण का ए.सी.बी. द्वारा विस्तृत विश्लेषण एवं परीक्षण किए जाने के उपरांत ही अनुसंधान में निर्णय लिया जाना ए.सी.बी. की कार्यप्रणाली का हिस्सा है।

यह जानकारी ए.सी.बी. के नाम/डर का दुरुपयोग कर होने वाली धोखाधड़ी आदि का शिकार होने की संभावना के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **टोल फ्री नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाईन नम्बर 9413502834 पर 24X7** सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।